

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 982 / 2014

संस्थित दि. : 28 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मनोहरलाल, पिता सुकलू पंचेश्वर, उम्र 32 साल, जाति मरार,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. परसराम, पिता मोती बिसवा पांचे, उम्र 46 साल, जाति मरार,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. राजूलाल पिता मोती मानेश्वर, उम्र 30 साल, जाति मरार,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. अनिल पिता भुआवल बिसेन, उम्र 20 साल जाति मरार,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 28 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का आरोप है कि आरोपीगण दिनांक 24 / 10 / 2014 को समय 12::00 बजे ग्राम बहेराभाटा प्राथमिक शाला स्कूल मैदान थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश-पत्तों से रूपये-पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी सालेटेकरी में पदस्थ प्रधान आरक्षक कन्हैयालाल दिनांक 24.10.2014 को हमराह स्टाप आरक्षक 1241,

835, 1314 के साथ ग्राम गस्त हेतु रवाना हुआ था तो उसे गस्ती के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहेराभाटा प्राथमिक शाला मैदान में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर दाव लगाकर हार जीत का खेल खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी की तो आरोपीगण 52 ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पाये गये। आरोपीगण से 52 ताश के पत्ते एवं नगदी 2802/- रुपये जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 140/14 अन्तर्गत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपीगण दिनांक 24/10/2014 को समय 12:00 बजे ग्राम बहेराभाटा प्राथमिक शाला स्कूल मैदान थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत सदोष लाभ लेने के आशय से ताश-पत्तों से रुपये-पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध क मुख्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया।

(06) आरोपीगण द्वारा जुआ अधिनियम की धारा 13 का अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के

आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(07) आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(08) आरोपी मनोहरलाल, परसराम, राजूलाल, अनिल को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध में दोषी पाते हुए क्रमशः 100, 100, 100, 100 /— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(09) आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में आरोपीगण से जप्त 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे एवं नगदी जप्तुशदा 2802 /— रुपये राजसात किये जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)